[Shri Narayanankutty Menon]

in India and actually the cost of distribution have risen in recent years to a very exorbitant level. Therefore, when the Government come forward to examine the accounts of these companies, they should examine not the accounts kept in India for the distribution wing of the industry alone, but a reasonable explanation should be sought from the oil companies regarding the break-down. The Government should not be satisfied by checking on the expenditure items shown by the companies, by giving large amounts of money as bonus to foreign personnel completely out of proportion to the salaries drawn every month and also entertainment allowance. Government should take care to see that only reasonable items of expenditure in consonance with the nature and total volume of business in India should be allowed. If these accounts are examined, just as the Government used to be convinced six months or a year before, I am quite sure that the original information the Government had in their possession about the profits made and the right of the Government and the people of India to get a reasonable return as far as the prices are concerned, will prevail.

I beseech the Government that immediate steps be taken, so that this matter should not be delayed. Last year, after giving an assurance on the floor of the House that we are pressing the oil companies for a price reduction, two months afterwards, through another Ministry, the Government granted a price increase simultaneously. No explanation was given to the House for giving that price increase. Government should not in future do this sort of double-talking. On the one side they say that they are convinced that the prices are high, but through another Ministry they give a price increase without consulting this House and without our having an opportunity to discuss that subject. Government should confine themselves to this point that the prices are unreasonable and they should look into the accounts and properly check them. In the meantime at least the *status quo* about the *ad hoc* arrangement will have to be maintained and thereafter, after consulting this House, Government should take a final decision regarding the price reduction.

I do hope that the Government will not repeat what they have done last year by granting *ad hoc* increments in prices, and that they will, after proper examination of accounts, come before this House again and do what is just as far as the price of oil is concerned.

Shri Morarji Desai: I can assure the hon. Member that Government will benefit by his suggestion—so far as it is possible and reasonable to do so.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

16.25 hrs.

RESOLUTION RE: BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up discussion on Shri Braj Raj Singh's resolution regarding disapproval of the Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance, 1958 and the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, 1958.

The resolution and motion for consideration of the Bill will be discussed

together after which the resolution will be put to the vote of the House first and, if negatived, the motion for consideration of the Bill will be put to the House.

As the House is aware, 6 hours have been allotted for both the items.

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित संकल्प प्रस्तावित करता हूं .

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा १४ जून, १९५८ को प्रख्यापित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ (१९५८ का अध्यादेश संख्या ४) को नामंजूर करती है।"

यह मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं देश के किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यहां पर विस्तृत चर्चा करूं। यह अध्यादेश पास करते समय सरकार ने एक वक्तव्य दिया जो कि सदन की मेज पर रक्खा गया है। उस वक्तव्य में कहा गया है :

"The report received by the Government of India regarding the Banaras Hindu University showed that the state of affairs of the University was so serious that it was necessary for the Government to intervene. Consequently in July, 1957 the President, as Visitor of the University, appointed a committee to enquire into the state of affairs of the University. The committee commenced its sittings on 31st July, 1957 and submitted its report in April, 1958."

यह अध्यादेश पास किया गया। इस संदर्भ में यह जान लेना आवश्यक है कि लोक सभा का पिछला सत्र ९ मई को खत्म हुआ था। इस कमेटी ने, जो कि मुल्क में मशहूर कमेटी के नाम से मशहूर हुई और जिसे राष्ट्रपति ने विजिटर की हैसियत से जुलाई, १९५७ में नियुक्त किया था, अपनी रिपोर्ट विजिटर को—और विजिटर का अर्थ हमें केन्द्रीय सरकार लेना चाहिये, और केन्द्रीय सरकार का अर्थ हमें शिक्षा मंत्रालय लेना चाहिये —अप्रैल, १९५८ में दे दी थी।

प्रश्न यह है कि जब प्रेजिडेन्ट को जो आर्डिनेन्स लागू करने की पावर है उसका इस्तेमाल किया गया तो जो रिपोर्ट अप्रैल, १९५८ में आ गई थी सरकार के पास, उसे लोक सभा के सामने क्यों नहीं रक्खा गया। और यदि बनारस विश्वविद्यालय में कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं जिन के कारण शिक्षा क्षेत्र का प्रबन्ध होना असम्भव हो गया था तो उन परिस्थितियों को लोक सभा के सामने क्यों नहीं रक्खा गया ? इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि प्रेजीडेंट को आर्डिनेन्स मेकिंग की जो पावर है उस की तरफ सदन एक बार पुन. ध्यान दे।

"If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बनारस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को जो ज्ञान हुआ वह जिस वक्त लोक सभा का पिछला सत्र चल रहा था उस के बीच में ही हो गया था। अगर लोक सभा के सत्र के खत्म होने के बाद राष्ट्रपति को उसका ज्ञान हुआ होता तथा उस के बाद सरकार को ज्ञान हुआ होता, उस के बाद वह कोई आर्डिनेन्स

[श्री बृजराज सिंह]

पास करती, तो मैं समझ सकता था कि उसके लिये कोई औचित्य था । परन्तु जो मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट, बनारस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध मे, सरकार को अप्रैल में ही मिल गई हो, उस के सम्बन्ध मे ९ मई, १९५८ तक, जब तक कि लोक-सभा का पिछला सत्र चला, कोई जिक्र न किया जाये और जब लोक सभा का सत्र उठ जाये, लोक सभा का अधिवेशन खत्म हो जाये, उस के बाद सरकार हमारे सामने एक आर्डिनेन्स को ले कर आये, यह कहा तक ठीक है ? मैं निवेदन करना चाहता हू कि शिक्षा क्षेत्र के अलावा किसी और चीज के सम्बन्ध मे आर्डिनेन्स बनाया गया होता, जैसे कि अभी एक आर्डिनेन्स के सम्बन्ध मे हमारे योग्य मित्र श्री भरूचा के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो उस का कोई औचित्य भी हो सकता था । लेकिन एक आर्डिनेन्स पास कर एक यूनिवर्सिटी का शासन प्रबन्ध अपने हाथ में लेने पर हमारे देश मे ही नही, दुनिया में, जिसे विश्वविद्यालयो की अटानमी या स्वतन्त्रता कहा जाता है, उस के लिये बहुत बडा अचम्भा माना जाता है ।

खास तौर से इस मुल्क मे जहा पर हमने अपनी आजादी हासिल करने के लिये बडी कुर्बानिया की है और उस जमाने में जबकि हिन्दुस्तान आजाद नही था और अग्रेजो का शासन यहा पर था तब भी हमने विश्वविद्यालयो की स्वतन्त्रता का अपहरण नही होने दिया, ऐसे सन्दर्भ मे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल, सन् १९५८ में आने के बाद जोकि लोक सभा और राज्य सभा की बैठकें होती रही, ९ मई तक लोक सभा का सैशन होता रहा लेकिन तब उस रिपोर्ट को सदन के सामने न रख कर १४ मई को उसके सम्बन्ध में एक आर्डिनेन्स लागू किया जाता है । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि उस परिस्थिति मे आर्डिनेस जारी करने के लिए कोई कारण नही था । यदि सरकार को यह विश्वास हो गया था और विजिटर को अर्थात् राष्ट्रपति को यह विश्वास हो गया था कि बगैर आर्डिनेंस लागू किये हुए बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का शासन प्रबन्ध और उसकी शिक्षा व्यवस्था ठीक से नही चल सकती तो मैं निवेदन करना चाहता हू कि जैसे ही सरकार को और राष्ट्रपति को मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट मिली उसके तुरन्त बाद ही वह रिपोर्ट लोकसभा मे विचारार्थ पेश होनी चाहिये थी और सरकार को चाहिये था कि वह उसके लिए कोई बिल लाती और लोक सभा में उस पर विचार होता और उस बिल पर लोक सभा की स्वीकृति की मुहर लगवाती लेकिन ऐसा नही किया गया । सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नही किया गया ?

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता का इस तरह से सरकार द्वारा अपहरण किया गया है, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी इस देश में ही नही अपितु विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है और वह दुनिया की उन चन्द एक यूनिवर्सिटियों मे से एक है जिनका कि नाम बडे आदर के साथ लिया जाता है और जिसके लिए उसके संस्थापक पूज्य महामना मालवीय जी ने सन् १९१६ से पहले यह कहा था कि वे चाहते है कि हिन्दुस्तान में नालन्दा और तक्षशिला के समान विश्वविद्यालय क़ायम हों जहां कि १०००० विद्यार्थी पढ़ सकें और वहां पर रह सकें । पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह शब्द उस समय कहे थे जब हिन्दुस्तान की

आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतवर्ष में महात्मा गांधी का पदार्पण दक्षिण अफ्रीका से नहीं हुआ था । सन् १९१६ में जब उन्होंने इस युनिवर्सिटी को कायम किया और इसकी शुरुआत की तो इस उद्देश्य को लेकर शुरू किया कि वे उसको नालन्दा और तक्षशिला के समान बनायेंगे जहां पर कि १०,००० विद्यार्थी पढ़ सकें वहां पर रह सकें और उच्च शिक्षा उनको दी जा सके ।

सन् १९२१ में जब कि भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आन्दोलन किया गया, सन् १९३१ में जब आजादी के लिए भारतवासियों द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया और आगे चल कर सन् १९४२ में जब भारतवासियों ने अपने को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए प्रयत्न किया और अंग्रेजी सरकार को "भारत छोड़ो" कहा उस समय भी कभी भी विदेशी सरकार बनारस हिन्दू युनिवरसिटी की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सकी । सन् १९३१ मे जब महामना मालवीय जी बनारस हिन्दू युनिवरसिटी के उपकुलपति थे तो ऐसा मौका आया जब सरकार ने सन् १९३१ में उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार होने के बावजूद वह जेल में रहते हुए एक डेढ़ महीने तक जेल के अन्दर से यूनिवर्सिटी का शासन प्रबन्ध चलाते रहे । उस वक्त की विदेशी सरकार की जो कि हमारी किसी भी बात को सहन नहीं कर सकती थी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता का अपहरण करती और कोई आर्डिनेन्स पास करती उसका शासन प्रबन्ध अपने हाथ में लेती । सन् १९४२ में जब बनारस यूनिवर्सिटी देश की आजादी के लिए लड़ने वालों का एक पूरा गढ़ बन गई थी, यूनिवर्सिटी कैम्पस में विद्यार्थियों के पास जाने की पुलिस या मिलेटरी की दस दिन तक हिम्मत नहीं पड़ी, उस जमाने में भी ब्रिटिश सरकार की, जिसके कि विरुद्ध हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमने उसको यह कह दिया था कि हम तुम्हें इस देश में अब नहीं रहने देंगे, यह हमारा मुल्क है और हम भारतवासी यहां पर अपना शासन चलायगे, उस वक्त भी उस ब्रिटिश सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में लेती लेकिन उन लोगों ने जो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने की बात कहते हैं, उन लोगों ने जो महामना मालवीय जी के पदचिन्हों पर चलने का नाम लेते हैं जिन मालवीय जी ने हिन्दुस्तान की आजादी के हेतु कम कुर्बानियां नहीं कीं, उनके शिष्य बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों ने १४ जून सन् १९५८ को उस बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की आजादी का अपहरण किया ।

यहां पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि क्या किसी भी दशा में कोई आर्डिनेंस पास ही नहीं किया जाना चाहिए । मेरी विचारधारा को अगर माना जाय तो मैं तो कहूंगा कि कभी भी कोई आर्डिनेन्स पास नहीं किया जाना चाहिए जब कि हमारे यहां पर दो सदन अर्थात् राज्य सभा और लोकसभा हैं और लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है । अगर कोई ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने आती है जिसमें कि वह यह महसूस करती है कि जो मौजूदा कानून हैं उससे ठीक तरह सरकार का शासन प्रबन्ध नहीं चल सकता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से यह प्रार्थना की जानी चाहिए कि वे लोक सभा और राज्य सभा का अधिवेशन बुलायें और सदन द्वारा उस पर विचार किया जाये, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको उस पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिले और यदि कोई परिवर्तन करने अथवा कानून बनाने की जरूरत महसूस की जाये तो वह किया जाये । लोकतन्त्र में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में

[श्री बजराज सिंह]

इस तरह से यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता का आर्डिनेंस जारी करके, अपहरण किया जाना भी किसी भी दशा में उचित नहीं है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्वतन्त्रता का अपहरण किन परिस्थितियों में सरकार द्वारा किया गया है यह ध्यान में रखने वाली बात है। सन् १९५८ में अप्रैल मास में जब मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिल गई थी उस वक्त और उसके बाद ९ मई तक लोकसभा का अधिवेशन चलता रहा था। मेरे पास ठीक तारीख नहीं है जब कि शिक्षा मंत्रालय को मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट मिल गई थी। इसमें यह नहीं दिया गया है कि कौनसी तारीख को उन्हें यह रिपोर्ट मिली लेकिन मैं माने लेता हूं कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आखिर अप्रैल में ही आई। तो भी सरकार के पास १२ दिन थे जिसमें कि सरकार अगर चाहती तो जल्दी से जल्दी विचार करके सदन के सामने रख सकती थी और कानून बनवा सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा। मैं जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया ? मैं जानना चाहता हूं कि जब लोकसभा चल रही हो और राज्य सभा चल रही हो, दोनों सदन चल रहे हों तब सरकार ने यह क्यों नहीं चाहा कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सदन में रक्खी जाये और उस पर विचार किया जाये और सरकार अगर उचित न समझे तो उसके लिये संसद् से कानून पास कराये ? ऐसा करना सरकार ने क्यों उचित नहीं समझा इसके पीछे कुछ दूसरी बातें हैं जिनकी कि तरफ श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सदन के जरिए मैं पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जुलाई सन् १९५७ में तथाकथित मुदालियर कमेटी बैठी थी। वह कमेटी किसके लिए बैठी थी और क्यों बैठी थी जिसके कि लिए यह कहा गया था कि बनारस यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनकी कि जांच करनी आवश्यक है और इसलिए उसकी जांच करवाई जाय लेकिन उस जांच को करने से पहले जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का सन् १९५१ का ऐक्ट था उसको सरकार ने खत्म कर दिया। उस ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा ३ को कतई लापरवाही के साथ तोड़ा गया उसका कोई ध्यान नहीं रक्खा गया। उस उपधारा में यह कहा गया है

"The visitor shall, in every case, give notice through the University of his intention to cause an inspection or enquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present at the time of inspection and enquiry"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस उपधारा के होते हुए भी सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कोई नोटिस नहीं दिया कि हम आपके यहां कोई इंस्पैक्शन करना चाहते हैं, कोई जांच पड़ताल करना चाहते हैं और कोई कमेटी मुकर्रर करना चाहते हैं इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष जब कि यह कमेटी मुकर्रर हुई थी तो एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था उस समय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह कहा गया था कि इस सम्बन्ध में नोटिस और ऐक्शन दोनों एक साथ शुरू होंगे। यह भी अजीब तमाशा है कि नोटिस और कार्यवाही एक साथ शुरू कर दी जाती है। उचित तो यह था कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिये था कि हम आपके विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जांच पड़ताल

करना चाहते हैं और सम्बन्धित मामलों का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वह कमेटी जांच करने के लिए बैठानी चाहिए थी लेकिन ऐसा कोई नोटिस यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया । मैं इससे यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि विजिटर अर्थात् राष्ट्रपति को यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है । विश्वविद्यालय के कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को दखल देने का अधिकार नहीं है, वे जरूर जांच पड़ताल कर सकते हैं और करवा सकते हैं लेकिन जांच करने से पहले उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इसके लिए नोटिस देना चाहिए था कि हम उनकी जांच करना चाहते हैं और हम उसके लिए एक कमेटी मुकर्रर करना चाहते हैं । तो बिना कोई नोटिस दिये हुये उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर कर दी । उस कमेटी के सदस्य थे डा० ए० एल० मुदालियर, श्री एम० सी० महाजन, डा० पी० सुबबरायन, श्रीमती सुचेता कृपलानी, तथा श्री नवरोजी जे० वाडिया । उसकी टर्म्स आव रेफेरेंस ये थी । मैं इनको इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे यह दिखाना होगा कि मुदालियर कमेटी की जो टर्म्स आव रेफेरेंस थी उसके बाहर जाकर रिपोर्ट दी गयी और सरकार ने उस पर कार्रवाई की । वे टर्म्स आव रेफेरेंस इस प्रकार है :

(1) To examine the general state of discipline in the University, keeping in view the recent disturbances in some of the Institutions;

(2) To enquire into the adequacy and effectiveness of the existing rules and procedure for ensuring proper conduct and discipline amongst the employees of the University;

(3) To examine the working of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University in general and with particular reference to:—

(a) The composition of the Authorities of the University;

(b) The institution of the Principals and their ex-officio appointment as Chief Wardens; and

(c) The powers of the Vice-Chancellor *vis-a-vis* the administrative and the teaching personnel of the University;

(4) To suggest such remedies and measures as are necessary in respect of matters specified in item (1) to (3) above; and

(5) To suggest such other measures of reform as are necessary for the betterment of the academic life and efficient functioning of the University.

इन टर्म्स आव रेफेरेंस के साथ मुदालियर कमेटी मुकर्रर की गयी । मुदालियर कमेटी एक दो महीने नहीं बल्कि दस महीने तक बैठी । लेकिन १४ जून सन् १९५८ को ही हिन्दुस्तान की सरकार को यह पता चला कि वहां की परिस्थितियां खराब हो गयी हैं और वहां पर शिक्षा का काम चलाया नहीं जा सकता । जो काम मुदालियर कमेटी को सौंपा गया था उसको पूरा करने में उसने दस महीने का समय लिया और दस महीने जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की । लेकिन श्रीमन् मुझे बड़े दुःख के साथ आपके सम्मुख, इस सदन के सम्मुख और राष्ट्र के हित के लिए यह कहना पड़ता है कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गयी ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

16·42 hrs.

तो पढ़ने के लिये दीजिये । तब उन्होंने मुझ से लेकर वह रिपोर्ट पढ़ी । तो यह व्यवस्था है ।

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मुदालियर कमेटी के सामने जो साक्षी दी गयी, उस कमेटी को जो स्मृतिपत्र दिये गय उनका कोई संकलन सदन की मेज पर नही रखा गया । जिसका परिणाम यह है कि लोकसभा के किसी मेम्बर को, राष्ट्र के किसी नागरिक को, विश्वविद्यालय के किसी व्यक्ति को यह मालूम नही है कि जो साक्षी दी गयी वह क्या थी या जो स्मृतिपत्र दिये गये उनमें क्या लिखा था हमारे सामने सिर्फ एक रिपोर्ट पशकी जाती है । इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी देश मे बड़ी बड़ी चर्चायें रही । जब रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद मै स्वयं बनारस वहां की परिस्थिति देखने गया । वहां पर मुझे पता लगा कि पूरे बनारस शहर में रिपोर्ट की छपी हुई कापियां जो बंट गयी थीं उन्हें वापस ले लिया गया है और उसका पबलिकेशन बन्द कर दिया गया है । मुझे पता नही कि यह कानूनी तरीके से किया गया या नहीं । लेकिन वस्तुस्थिति यह थी कि बनारस में कोई छपी हुई कापियां उपलब्ध नही थीं । हो सकता है कि टाइप की हूई कापियां मिल सकती हों । लेकिन जो साक्षी इस कमेटी के सामने दी गयी या जो स्मृति पत्र इस कमेटी को दिये गये वे जनता के या लोकसभा के सामने नही आये । न वे बनारस विश्वविद्यालय के किसी व्यक्ति के सामने आये । जो रिपोर्ट सरकार को दी गयी वह भी बनारस विश्वविद्यालय के लोगो को नहीं मिल पायी । आगरा राजपूत कालिज के प्रिंसिपल मेरे मित्र डा० आर० के० सिह ने मुझे बतलाया कि उनको इस रिपोर्ट की कापी नही मिल सकी है और उन्होंने मुझ से कह कि अगर आपके पास इसकी कापी हो

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसी परिस्थितियां ऐसी थीं कि जिनकी वजह से सरकार को इस रिपोर्ट के मिलने के बाद १४ जन तक रुकना पड़ा, जबकि सरकार ने इस आर्डिनेन्स को पास किया । इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान बनारस हिन्दू यनिवर्सिटी के पिछले प्रबंध की ओर दिलाना चाहूंगा । महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बीस साल तक बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उनके बाद हमारे आज के माननीय उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन ६ साल तक उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उनके बाद इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री गोविन्द मालवीय उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उनके बाद प्रातः स्मरणीय श्री नरेन्द्र देव जी उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उनके बाद डा० सी० पी० रामस्वामी वाइस चांसलर रहे जो कि इससे पहले अन्नामलाये विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके थे । मैं यह दिखाना चाहता हूं कि शुरू से बनारस विश्वविद्यालय में जो जो वाइस चांसलर रहे वे शिक्षा के क्षेत्र में या सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थान रखते थे या कालिज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था जिसके आधार पर वे वाइस चांसलर बनाये गये । लेकिन मै निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो आज के वाइस चांसलर है, मैं उनका नाम नही लूंगा, उनका भूत क्या है । मुझे बताया गया है कि अपने पूरे जीवन में चार पांच महीने से अधिक उन्होंने कोई लिखाई पढ़ाई के विषय में काम नहीं किया है । वह इंस्पेक्टर आव स्कूल्स रहे, कहीं डिप्टी डाइरेक्टर आव एजूकेशन रहे, पब्लिक सर्विस

कमीशन के मेम्बर रहे । लेकिन जहां तक शिक्षा क्षेत्र का सवाल है या जहां तक सार्वजनिक जीवन का सवाल है, उसमें उनका कोई महत्व का स्थान नहीं था । जब डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर वे ७६ साल की उम्र में यह कहा कि मेरी बहुत उम्र हो गयी है और मैं चाहता हूं कि इस अरसे में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है उसको लिख जाऊं और यह कह कर उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो इन सज्जन को वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया । जब श्री अय्यर ने इस्तीफा दिया तो यह बात हुई कि दूसरा वाइस चांसलर ढूंढा जाये और बनारस यूनीवर्सिटी के कोर्ट को कहा गया कि आप नामों की सिफारिश कीजिये । वहां से नामों की सिफारिश की गयी । चार नाम भेजे गये । मैं उन सब नामों को नहीं लेना चाहता लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जो आज के वाइस चांसलर हैं और जिनको केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर विजिटर ने वाइस चांसलर नियुक्त किया है उनको केवल चार वोट ही मिले थे । उनसे ज्यादा वोट श्री एम० सी० विजावत को मिले थे, उसके बाद वोट श्री आर० एस० त्रिपाठी को मिले थे जिनका २५ या ३० साल का शिक्षा का अनुभव था, उनके बाद एक और सज्जन थे उनको भी आज के वाइस चांसलर से ज्यादा वोट मिले थे । वह सज्जन हमारे आज के राजस्थान के गवर्नर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हैं । लेकिन जो आज के वाइस चांसलर हैं उनको सिर्फ चार वोट ही मिले थे । ये नाम विजिटर के पास आये और उनमें से उन्होंने इनको वाइस चांसलर नियुक्त किया । विजिटर साहब ने श्री एम० सी० विजावत को नियुक्त नहीं किया जिनको १२ वोट मिले थे, श्री आर० एस० त्रिपाठी को नियुक्त नहीं किया जिनको ११ वोट मिले थे, और श्री गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त नहीं किया जिनको ७ वोट मिले थे । उन्होंने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका शिक्षा के बारे में चार पांच महीने का अनुभव था । और जिसको केवल चार वोट मिले थे । मेरा मंशा किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने का नहीं है । मैं यह केवल यह दिखाने के लिए कह रहा हूं कि किस प्रकार नियुक्ति की गयी ।

कहा जाता है कि वर्तमान वाइस चांसलर के आने के बाद बनारस विश्वविद्यालय में अव्यवस्था फैली और अनुशासनहीनता बढ़ गयी । शिक्षा का काम अच्छी तरह से नहीं चल रहा था और ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि विजिटर को यह आवश्यकता महसूस हुई कि बनारस यूनीवर्सिटी ऐक्ट की धारा ५ उपधारा ३ के मुताबिक जांच पड़ताल करायें और यह देखें कि इसमें क्या संशोधन करने की जरूरत है ।

हमारे वर्तमान वाइस चांसलर को वहां नियुक्त हुए दो साल हो गये । हमारा जो बनारस यूनिवर्सिटी ऐक्ट है उसमें विजिटर को यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर एग्जीक्युटिव काउंसिल या कोर्ट कोई ऐसी कार्रवाई करें कि जो ऐक्ट के स्टेट्यूट्स के या यूनिवर्सिटी के आर्डिनेंस की भावनाओं और विचार के खिलाफ हो तो उसको विजिटर एनल या खत्म कर सकता है । मैं शिक्षा मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि इस कमेटी के बिठाने के पहले क्या एक दफा भी ऐसा अवसर हुआ कि वहां के किसी प्रोसीडिंग को खत्म या एनल किया गया हो । मेरी सूचना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ । तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी बात हो गयी.....

Mr. Speaker: I would like to inform the hon. Member that he has been given half an hour. In all six hours have been allotted both for the Resolution and the Bill. There are some amendments also. He started at 4·30 and now it is nearing 4·50.

Shri Braj Raj Singh: Sir, this matter is very important.

Mr. Speaker: I am giving him half an hour.

Shri Braj Raj Singh: I had submitted to you very humbly that I would require one hour or 45 minutes and you were pleased to say that you will give me freedom to speak. So, I want only some more time.

Mr Speaker: I have given the hon. Member half an hour. As the House willing to sit for 15 minutes more?

Shri Braj Raj Singh: We will continue tomorrow.

Mr. Speaker: Six hours have been allotted for both the Resolution and the Bill

Shri Braj Raj Singh: Your discretion is always there It shall always be used whenever required.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी परिस्थितियो में हमारे वर्तमान वाइस-चासलर की नियुक्ति हुई। उन की नियुक्ति के बाद ही यूनिवर्सिटी में अनुशासनहीनता की बात बढ़ी और वहां पर होने वाले झगडो की बात चली और ऐसी परिस्थितिया पैदा हुईं, जिन में कहा जाने लगा कि वहा ऐसी अव्यवस्था फैलती जा रही है, जिस को हम कट्रोल नही कर पा रहे है। मैं इस बात से सहमत हू कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ गडबडिया हो सकती है, वहां के प्रबन्ध में कुछ खराबी हो सकती है, लेकिन इस के साथ ही मै यह जानना चाहता हू कि क्या कभी इस बात की जाच करने का प्रयत्न किया गया है कि वहा पर क्या खराबी पैदा हो गई है और वर्तमान प्रबन्ध में गडबड क्यो है और वहां क्यों अव्यवस्था फैल रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्जेक्टिव कौंसिल के २१ सदस्यों में से पांच चुने हुए सदस्य हैं। उन पांच सदस्यों में से एक सदस्य हमारी केन्द्रीय सरकार के एक सदस्य हैं—मेरा तात्पर्य माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत से है—जो इतने व्यस्त रहते हैं कि दो दो टर्म के लिये चुने जाने पर भी उन्होंने कभी बनारस यूनिवर्सिटी जाने की कृपा नहीं की, कभी मीटिंग में उपस्थित होने की कृपा नहीं की। इस प्रकार उन २१ सदस्यों मे चार आदमी ऐसे रह जाते हैं, जो चुने हुए हैं और जो तथा-कथित पूर्वी यू० पी० के हैं। प्रश्न यह है कि अन्य लोगों के बहुमत में होते हुए यह कैसे सम्भव हुआ कि अल्पमत के लोग वहा अपनी सत्ता कायम किये हुए थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वहा पर कोई खराबी थी, तो आप विभिन्न उपायो से उसे दूर करने का प्रयत्न करते। अगर वहां की एग्जेक्टिव कौंसिल नाकारा थी, तो हमें यह भी देखना पडेगा कि जो व्यक्ति एग्जेक्टिव कौंसिल को प्रिजाइड करता है—वाइस-चासलर—उस ने इस सम्बन्ध में कोई कोशिश की। जो आर्डीनेंस लागू किया गया, उस के अधीन एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई, जिस के तीन सदस्य है, जिन में से एक तो हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज होगे और एक वाइस-चासलर होगे एक्स आफिशिओ। इस का मतलब यह है कि जब तक यह आर्डीनेंस रहता है, तब तक बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस-चासलर स्क्रीनिंग कमेटी के मेम्बर रहेंगे। अभी अखबारो में यह समाचार छपवाया गया है कि वाइस-चासलर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और स्क्रीनिंग कमेटी में काम करने से अपनी असमर्थता प्रकट की है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक आर्डीनेंस मौजूद है, तब तक वाइस-चासलर स्क्रीनिंग कमेटी से इस्तीफा नही दे सकते हैं। अगर वह वाइस-चासलर के पद से भी इस्तीफा दे दें, तभी वह उस कमेटी से इस्तीफा दे सकते हैं। श्रीमन,

आप की आज्ञा से मैं आर्डीनेंस की सम्बद्ध धारा पढ़ना चाहता हूं :—

Paragraph 30 of the Ordinance says:

"There shall be a Screening Committee consisting of the following persons, namely:

(a) a person who is or has been a Judge of a High Court, nominated by the Central Government, who shall be the Chairman of the Committee;

(b) the Vice-Chancellor *ex-officio*, etc."

हम ने इस बारे में यह शिकायत की थी कि यह बात कहां तक उचित है कि जिस व्यक्ति का उन सब मामलों से निकट सम्बन्ध रहा हो, जिस पर आरोप लगाये गये हों, वही जज बन कर बैठे और वही सजा दे । शायद उसी सम्बन्ध में इस तरह के समाचार छपवाये गये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आर्डीनेंस के रहते हुए जो व्यक्ति वाइस-चांसलर के पद पर है, वह स्क्रीनिंग कमेटी से हट नहीं सकता है । केन्द्रीय सरकार को बाद में अवश्य अक्ल आई है और उस ने वर्तमान बिल में स्क्रीनिंग कमेटी में वाइस-चांसलर का नाम नहीं रखा है । हो सकता है कि इसी लिये स्क्रीनिंग कमेटी में से वाइस-चांसलर को हटा दिया गया है, लेकिन आर्डीनेंस के अधीन स्क्रीनिंग कमेटी में से वाइस-चांसलर के हटने का कोई सवाल नहीं है ।

मेरा यह स्पष्ट मत है कि आजकल ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, जिस में कि इस आर्डीनेंस की जरूरत थी और खास तौर से इस अवस्था में जब कि एग्जेक्टिव कौंसिल के २१ सदस्यों में नामीनेटिड लोगों की संख्या ज्यादा थी, जिन को वाइस-चांसलर, चांसलर और मिनिस्टर नामीनेट करते थे, जो चार पांच व्यक्ति चुने हुए थे, जिन को ईस्ट्रन यू० पी० या यू० पी० कहा जाता है, वे कोई नुक्सान नहीं पहुंचा सकते थे और अगर वे नुक्सान पहुंचा सकते थे, तो क्या हिन्दुस्तान की सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यह कोशिश की कि उन से बात-चीत की जाय और उन को कहा कि तुम्हारी वजह से इस यूनीवर्सिटी के नाम पर धब्बा लग रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री का० ला० श्रीमाली ने—अंग्रेजी के के० एल० को हिन्दी में का० ला० कहते हैं—इस बात की कोशिश की कि उन लीगों को बताया जाय कि तुम्हारी वजह से इस यूनिवर्सिटी के नाम पर "काला" धब्बा लग रहा है, इसलिये आप इस्तीफ़ा दे दीजिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई कोशिश नहीं की गई कि जिन व्यक्तियों की वजह से वहां पर गड़बड़ हो रही थी, उन से बात की जाती या उन को हटने के लिये कहा जाता । जहां तक ईस्ट्रन यू० पी० के तथा-कथित गुट का सवाल है, मैं सब से पहला व्यक्ति हूंगा, जो यह कहेगा कि बनारस यूनिवर्सिटी के कार्य-संचालन में इस तरह की भावना नहीं रहनी चाहिये । अगर ईस्ट्रन यू० पी० या वैस्टर्न यू० पी० या यू० पी० की भी बात आती है, तो मैं कहूंगा कि वहां पर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये । लेकिन वह कार्यवाही करने का यह तरीका नहीं है, जो कि अपनाया गया है, उस का दूसरा तरीका है । मैं यह बात साबित करूंगा कि यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह की भावना नहीं है कि वहां पर ईस्ट्रन यू० पी० बनाम हिन्दुस्तान का सवाल उठाया जाता हो । जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वे इस बात को साबित करेंगे कि इस वक्त यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर—उस का चरित्र—बिल्कुल अखिल-भारतीय बना हुआ है । इस समय यूनिवर्सिटी के ५७५ टीचर्ज में से ३६४ अभी तक यू० पी० से बाहर के हैं, १२२

[श्री बृजराज सिंह]

वैसट यू० पी० के हैं और केवल ८६ ईस्ट्रन यू० पी० के हैं। दूसरे शब्दों में ६३.३ परसेंट यू० पी० के बाहर के हैं, १८.६ परसेंट वैस्ट यू० पी० के हैं और १५.५ परसेंट ईस्ट्रन यू० पी० के हैं। यही अवस्था प्रिंसिपल्ज की है। चौदह प्रिंसिपल्ज में से ईस्ट्रन यू० पी० के सिर्फ़ दो प्रिंसिपल्ज हैं। विद्यार्थियों का भी यही हाल है और ईस्ट्रन यू० पी० के विद्यार्थियों का वहां पर बहुत कम हिस्सा है। जहां तक उन कालेजों का सवाल है, जिन में टेक्निकल शिक्षा दी जाती है, उन में साफ़ तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर हरेक सूबे के लिये कोटा निर्धारित है और अगर किसी सूबे से निर्धारित संख्या में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होता है, तो ईस्ट्रन या वैस्ट्रन यू० पी० के विद्यार्थी नहीं रखे जा सकते हे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुदालियार कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जिन का कोई आधार नहीं है, जिन को साफ़ तौर पर झूठ कहा जा सकता था। मेरे पास पूरी एविडेंस नहीं है, सब स्मृतिपत्र नहीं हैं, जिन के आधार पर यह कहा जा सके कि उन्होंने जो बात कही है, वह झूठी है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं, जो कि आन दि फ़ेस आफ़ इट झूठी हैं, जिन में कोई तथ्य नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट में बार बार कहा गया है "इज सेड टु बी, इज स्टेटिड टु बी"। यह नहीं कहा गया है कि यह बात है, बल्कि यही कहा गया है कि "इज सैड टु बी" "इज स्टेटिड टु बी", जिससे शंका भी रहे, सही बात भी सामने न आने पाये और मुल्क के लोगों पर यह प्रभाव भी पड़ जाये कि बनारस यूनिवर्सिटी में बहुत गड़बड़ी है और साथ ही कानून के दायरे में भी न बंधने पायें। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस यूनिवर्सिटी के २३ अध्यापक ऐसे हैं, जिन के यूनिवर्सिटी के साथ मुकदमे चल रहे ह—जो या तो उन्होंने चलाये हुए हैं या यूनिवर्सिटी ने चलाये हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन २३ आदमियों की लिस्ट दी गई है, उन में से १३ आदमी इस तरह के हैं, जिन के खिलाफ़ न तो यूनिवर्सिटी की तरफ़ से कोई मुकदमा चल रहा है और न उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ कोई मुकदमा चलाया हुआ है। यह एक बिल्कुल झूठ बात कह दी गई है। डा० राजबलि पांडे के खिलाफ़ यूनिवर्सिटी ने कोई मुकदमा नहीं चलाया हुआ है और न उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ मुकदमा चलाया हुआ है। यही हालत बाटेनी डिपार्टमेंट, सेल आफ ओल्ड न्यूजपेपर्ज, कालेज आफ़ माइनिंग एंड मेटालर्जी वगैरह की है। उन के सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इसी तरह से डा० आर० एस० ओझा और पंडित धनेश्वर पांडे के खिलाफ़ भी कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और न उन्होंने ही कोई मुकदमा चलाया हुआ है। एक बात यह भी कह दी गई है कि किसी प्रोफ़ेसर के खिलाफ़ अननैचुरल आफ़ेन्स का मुकदमा चल रहा है। कहा गया है—

".....a case of unnatural offence involving a Professor is stated to be before a court of law."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह साफ़ तौर से एक झूठ बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी अदालत में कोई मुकदमा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफ़ेसर के खिलाफ़ अननैचुरल आफ़ेन्स के बारे में नही चल रहा है। न जाने कमेटी को यह विश्वास कैसे हो गया कि ऐसी घटना हुई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर दस हज़ार विद्यार्थी पढ़ते हैं, ६०० टीचर रहते हैं और उस यूनिवर्सिटी का कैम्पस तेरह सौ एकड़ ज़मीन पर

फैला हुआ है । इतनी बड़ी संस्था में अगर कोई एक आध ऐसी घटना हो जाती है, तो क्या उस को ले कर सारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करना और इस तरह स्वर्गीय महामना मालवीय जी की आत्मा को ठेस पहुंचाना किसी तरह भी उचित है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट का कोई आधार नहीं था, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट फिर भी लिखी गई और जान बूझ कर लिखी गई । हमारे देश में अब भी कुछ ऐसे लोग है, जो पुरानी ब्रिटिश परम्परा को कायम रखना चाहते हैं, जो यह चाहते है कि हिन्दुस्तान मे शिक्षा का प्रसार न हो, लोग अपढ़ रहें और इस देश में एक विदेशी भाषा का प्रयोग होता रहे, जिस के बल पर केवल एक फ़ीसदी लोग सारे हिन्दुस्तान पर शासन करते रहें । वे लोग खास तौर पर यह चाहते हैं कि इस देश में उच्च शिक्षा का प्रसार न हो । उस में कहा गया है कि चूंकि यूनिवर्सिटी में दस हजार विद्यार्थियों के लिये रेजीडेंशियल एकामोडेशन नहीं है, इस लिए वहां विद्यार्थियों की संख्या पांच हजार कर दी जानी चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि १९१६ में मालवीय जी ने १३०० एकड़ जमीन हस्तगत कर के यह कोशिश की कि इस यूनिवर्सिटी में दस हजार विद्यार्थी हों और नालंदा विश्वविद्यालय की तरह यह यूनिवर्सिटी बढ़े । आज जब १३०० एकड़ जमीन इस यूनिवर्सिटी के पास है तब मुदालियर कमेटी कहती है कि सरकार विद्यार्थियों का प्रवेश कम करने पर विचार करे ।

17 hrs.

सरकार कहती है कि उसके सामने इस रिपोर्ट को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि यह एक हाई पावर्ड कमेटी थी । यह कितनी हाई पावर्ड कमेटी थी, इसके सम्बन्ध में मैं दो एक शब्द निवेदन करना चाहता हूं । इसके एक सदस्य बनारस यूनिवर्सिटी के पहले लैक्चरार थे । जब वह वहां लैक्चरार थे उस वक्त महामना मालवीय जी थे एक दूसरे लैक्चरार को उस यूनिवर्सिटी का वाइस-प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिया और इनको मुकर्रर नहीं किया.....

Mr. Speaker: How many minutes more would the hon. Member like to take?

Shri Braj Raj Singh: Fifteen to twenty minutes.

Mr. Speaker: He will have 15 minutes tomorrow.

17·1 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 14th August, 1958.